

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRH MANTRALAYA)

New Delhi, the 17th December, 1976

NOTIFICATIONS

G.S.R. .- In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Dowry Prohibition (Punjab Amendment) Act, 1976 (Punjab Act 26 of 1976), as in force in the State of Punjab at the date of this notification, subject to the following modifications, namely :-

Modifications

1. In section 2, for the words "State of Punjab", the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted.
2. In section 8, clause (iii) shall be omitted.

ANNEXURE

THE DOWRY PROHIBITION (PUNJAB AMENDMENT) ACT, 1976
(PUNJAB ACT 26 OF 1976) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH.

An Act to amend the Dowry Prohibition Act, 1961, in its application to the State of Punjab.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short
title.

1. This Act may be called the Dowry Prohibition (Punjab Amendment) Act, 1976.

Amendment
of
section
3 of
Central
Act 28
of 1961.

2. In Section 3 of the Dowry Prohibition Act, 1961, in its application to the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "six months, or with fine which may extend to five thousand rupees", the words "one year, and fine which may extend to five thousand rupees" shall be substituted.

Amendment
of section
4 of Central
Act 28 of
1961.

3.

In section 4 of the principal Act,-

(a)

for the words "six months, or with fine which may extend to five thousand rupees", the words "one year, and fine which may extend to five thousand rupees" shall be substituted; and

.....2.

(b) the proviso shall be omitted.

4. After section 4 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely :-

Insertion
of new
sections
4-A and
4-B in
Central
Act 28
of 1961.

Bar of
certain
acts.

"4-A. Any person who -

- (i) displays any presents made at the time of such marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles; or
- (ii) takes in a marriage party more than twenty-five persons exclusive of minors and the members of the band; or
- (iii) gives in the form of sagun at the time of thaka, betrothal or marriage, anything the value of which exceeds eleven rupees; or
- (iv) gives to the parents or any other relation of a party to the marriage anything on the occasion of 'milni' or any other ceremony performed in relation to betrothal or marriage; or
- (v) serves to the marriage party more than two principal meals;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

Explanation - In this section the expression "principal meal" means lunch or dinner.

4-B. Any party to the marriage who, after the marriage, deprives the other party of the rights and privileges of marriage, or tortures or refuses to maintain the said other party, for non-payment of dowry, and any person who assists such party in the commission of such offence,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, and fine which may extend to five thousand rupees."

....3.

73

Substitution
of section 7
of Central
Act 28 of
1961.

5. For section 7 of the principal Act,
the following section shall be substituted, namely :-

"7. Notwithstanding anything contained in the
Cognizance of Code of Criminal
offences. Procedure, 1973 -

- (1) no court inferior to that of a Judicial
Magistrate of the first class shall try
any offence under this Act;
- (2) no court shall take cognizance of any
offence punishable under sections 3, 4
and 4-B except upon a complaint made
within one year from the date of the
offence, by some person aggrieved by the
offence;

Provided that -

- (a) where such person is under the age of
eighteen years, or is an idiot or a
lunatic, or is from sickness or
infirmity unable to make a complaint,
or is a woman who, according to the
local customs and manners, ought not
to be compelled to appear in public,
some other person may, with the leave
of the court, make a complaint on his or
her behalf;
- (b) where the person aggrieved by an
offence is the wife, complaint may be
made on her behalf by her father,
mother, brother, sister or by her
father's or mother's brother or sister; and
- (3) every offence under section 4-A shall be
cognizable :

Provided that no police officer below the
rank of a Deputy Superintendent of
Police shall investigate any offence
punishable under this Act or make any
arrest therefor."

Substitution
of section
8 of Central
Act 28 of 1961

6. For section 8 of the principal Act, the
following section shall be substituted, namely :-

"8. Every offence under this Act shall be
bailable and
Offences to be non-compoundable."
bailable and
non-compoundable.

Insertion
of new
section
8-A in
Central
Act 28 of
1961.

7. After section 8 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :-

"8-A. No prosecution shall be instituted against any person in respect of any offence committed under this Act without the previous sanction of the District Magistrate or of such officer as the State Government may by special or general order appoint in this behalf."

8. In section 9 of the principal Act, -

Amendment of
section 9
of Central
Act 28 of
1961.

- (i) in sub-section (1), after the words "Central Government" the words "or the State Government" shall be inserted;
- (ii) in sub-section (2), after the words "every rule made" the words "by the Central Government" shall be inserted; and
- (iii) [omitted]

[No. U-11015/6/76-(1)-UTL (136)]

H.C. Bakhshi

(H.C. BAKHSHI)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

G.S.R. .- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union territory of Chandigarh shall also, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under section 8A, and sub-section (1) of section 9, of the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act 28 of 1961) as in force in the said Union territory.

[No. U-11015/6/76-(ii)-UTL]

H.C. Bakhshi

(H.C. BAKHSHI)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area, Ring Road,
NEW DELHI.

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1976

अधिसूचना

सा0का0नि0 केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दहेज प्रतिषेध (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का पंजाब अधिनियम सं0 26) का, जैसा कि वह इस अधिसूचना की तारीख की पंजाब राज्य में प्रदत्त है, विस्तार निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए चन्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर करती है, अर्थात् :—

उपान्तरण

1. धारा 2 में, 'पंजाब राज्य' शब्दों के स्थान पर, 'चन्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र' शब्द रखे जाएंगे।
2. धारा 8 में, खंड (iii) का लोप कर दिया जाएगा।

'पंत'

चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में दहेज
प्रतिषेध (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का पंजाब संशोधन
अधिनियम, सं० 28)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को, उसके चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र
को लागू होने के संबंध में, संशोधित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल
द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है -

संक्षिप्त नाम

1961 के केन्द्रीय
अधिनियम
सं० 28 की
धारा 3 का
संशोधन

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध (पंजाब संशोधन)
अधिनियम, 1976 है ।

2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम
कहा गया है) की धारा 3 में, चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में उसके लागू होने के संबंध
में, "छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का
हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने
से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, -

(क) "छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए
तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष तक की हो
सकेगी और जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा",
शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा ।

1961 के केन्द्रीय 4. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं
अधिनियम सं० 28 अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
में नई धाराओं
4क और 4ख का
अन्तः स्थापन ।

"कतिपय कार्यों 4क. जो कोई व्यक्ति -
का वर्जन । (i) नगदी, आश्रुषण, कपड़ों या अन्य वस्तुओं के

रूप में ऐसे विवाह के क्षण्य दिर गर किन्हीं
उपहारों का प्रदर्शन करेगा, अथवा

- (ii) अवयवों और दैर्घ्य-बाजे के सदस्यों को छोड़कर पच्चीस व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को किसी बारात में ले जायगा, अथवा
- (iii) ठाका, लग्गाई या विवाह के समय सगुन के रूप में ऐसी कोई वस्तु देगा जिसका मूल्य ग्यारह रुपए से अधिक हो, अथवा
- (iv) मिलनी के अवसर पर या लग्गाई या विवाह के सम्बन्ध में किसी अन्य समारोह के अवसर पर माता पिता अथवा विवाह के किसी पक्षकार के किसी अन्य संबंधी को कोई वस्तु देगा, अथवा
- (v) बारात को दो मुख्य भोजनों से अधिक देगा;

वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।''

स्पष्टीकरण - इस धारा में 'मुख्य भोजन' पद से दोपहर का या रात का खाना अभिप्रेत है।

किसी पक्षकार को विवाह के अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करने के लिए शास्ति।

4ख. विवाह का कोई भी पक्षकार, जो, विवाह के पश्चात्, दूसरे पक्षकार को विवाह संबंधी अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित रखेगा, या दहेज न दिए जाने के लिए उक्त दूसरे पक्षकार पर अत्याचार करेगा या उसका भरणपोषण से इन्कार करेगा, और कोई व्यक्ति जो ऐसा अपराध करने में उस पक्षकार की सहायता करेगा, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।''

1961 के फ़ेब्रुअरी 5. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,

अधि नियम

सं० 28 का
प्रतिस्थापन।

अर्थात् :-

अपराधों का
संज्ञान।

"7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, -

- (1) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अगर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा,
- (2) कोई न्यायालय, धारा 3, 4 और 4ख के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, अपराध की तारीख से एक वर्ष के भीतर, अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिव्राद पर ही करेगा अन्यथा नहीं,

परन्तु -

- (क) जहां कि ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु से कम का है, या जड़ अथवा पागल है, या बीमारी अथवा अंगशैथिल्य के कारण कोई परिव्राद करने में असमर्थ है, या ऐसी स्त्री है जिसे स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार जनता में आने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए वहां कोई अन्य व्यक्ति, न्यायालय की इजाजत से, उसकी ओर से परिव्राद कर सकता है,
- (ख) जहां कि अपराध से व्यथित कोई व्यक्ति पत्नी है वहां परिव्राद उसकी ओर से उसके माता पिता, भाई, बहन या उसके चाचा या बुआ या मामा या मासी द्वारा किया जा सकता है, और

- (3) धारा 4क के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञय होगा,

परन्तु पुलिस उप-अधीक्षक से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का न तो अन्वेषण करेगा और न उसके लिए कोई गिरफ्तारी करेगा ।

1961 के केन्द्रीय 6. भूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी
अधिनियम सं० 28 जारीगी, अर्थात् :-
की धारा 8 का
प्रतिस्थापन ।

"अपराधों का जमानतीय और अशमनीय होना। 8. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध जमानतीय और अशमनीय होगा।"

7. मूल अधिनियम की धारा 8 के प्रश्नात्, निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना। 8क. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध की बाबत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन, जिला मजिस्ट्रेट की या ऐसे अधिकारी की, जिसे राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

8. मूल अधिनियम की धारा 9 में, -

- (i) उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात्, "अथवा राज्य सरकार" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे, (ii) उपधारा (2) में, "इस धारा के अधीन" शब्दों के पश्चात्, "केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

1961 के केन्द्रीय अधि-नियम सं० 28 की धारा 9 का संशोधन।

सू० 11015/6/76(i)-यू टी एल(136)

हरिश् चन्द्र बख्शी

(हरिश् चन्द्र बख्शी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सा0का0नि0 संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसारण में राष्ट्रपति यह निदेश देते हैं कि चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और आभासी आदेश होने तक, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 28) की, जैसा कि वह उक्त संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है, धारा 8-क और धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन भी करेगा ।

(सं0 यू0-11015/6/76-(11)यू टी एल)

हरिश चन्द्र बख्शी

(हरिश चन्द्र बख्शी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

आयापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

नई दिल्ली ।

'पत'

